न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 230/2022

1. महेश कुमार चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी
2. सुरेशचन्द्र चौधरी पुत्र श्री बुद्वाराम चौधरी

   समस्त जाति जाट नि0 बस्सी झाझडा पोस्ट बोबास तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
3. लालाराम थाकण पुत्र श्री गुल्लाराम (मृतक)

   3/1 संतोष पत्नि स्व0 लालाराम

   3/2 अविनाश चौधरी पुत्र स्व0 लालाराम

   समस्त जाति जाट नि0 थाकन की ढाणी बसेडी पो0 बेगस झोटवाडा

   3/3 अश्विनी चौधरी पुत्री स्व0 लालाराम पति संदीप चौधरी जाति जाट नि0 थाकन की ढाणी बसेडी पो0 बेगस झोटवाडा हाल गनतपुरा पो0 मंगलियावास जयपुर

वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र सुजा
2. बनवारी पुत्र सुजा
3. श्रीमती गुलाब पत्नी सुजा
4. मांगीदेवी पुत्री सुजा

   समस्त जाति गुर्जर नि0 आसलपुर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
5. तहसीलदार जोबनेर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री शिवराज सिंह वकील वादीगण

2. दिव्यराजवीर वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :— 28/06/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0न0 1079 रकबा 10 बीघा 14 विस्वा, ख0न0 1088 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, ख0न0 1089 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, ख0न0 1090 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 1091 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 23 बीघा 1 विस्वा वाकै ग्राम आसलपुर प0ह0

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

आसलपुर भू0अ0नि0क्षे0 जोबनेर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें वादी सं0 1 125.5/461 हिस्से, वादी सं0 2 60/461 हिस्से, वादी सं03 45/461 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 1/2 हिस्सें के यानी प्रत्येक 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार हिस्सेनुसार पारस्परिक सहमति से मौके पर हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते है तथा लगान अदा करते है।

वादपत्र में वर्णित आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी तकास्मा नहीं हुआ है जबकि आपसी सहमति से काश्त की सुविधा से हिस्सा मुतबिक बाहमी बंटवारा हो रखा है। परन्तु विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। जिसके अभाव में भविष्य में अनावश्यक वाद–विवाद होने की संभावना है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सं01 लगा0 4 को दिनांक 12.03.19 को वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने हेतु कहा तो उन्होनें विभाजन कराने से मना कर दिया। तथा मनचाही जगह पर कब्जा करने की धमकी दी गयी। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति वादीगण को किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी इसलिए वादीगण को यह दावा खिलाफ प्रतिवादीगण लाना लाजिम आया है। अतः वाद पत्र में वर्णित आराजी का बंटवारा मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी किया जाकर वादीगण को आराजी मुतदाविया के अपने हिस्से का अलग–अलग खाता एवं राज लगान कायम किये जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण मय वकील दिनांक 30.05.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुये। तथा दिनांक 23.08.2023 को जवाब पेश ना कर प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट करने पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी
ख0न0 1079 रकबा 10 बीघा 14 विस्वा, ख0न0 1088 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा,
ख0न0 1089 रकबा 5 बीघा 2 विस्वा, ख0न0 1090 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, ख0न0
1091 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 23 बीघा 1 विस्वा वाकै ग्राम
आसलपुर प0ह0 आसलपुर भू0अ0नि0क्षे0 जोबनेर तह0 जोबनेर जि0 जयपुर को दिनांक 23.08.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 01.02.2024 को न्यायालय के समक्ष कुरेजात पेश किये गये।

अधिवक्ता वादी द्वारा वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात डिक्री का भाग रहेंगे।

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	अविनाश चौधरी पुत्र लालाराम थाकण हि. 1897/29147 अश्विनी चौधरी पुत्री लालाराम थाकण हि. 1897/29147 संतोष देवी पत्नि लालाराम थाकण हि.1897/29147 जाति जाट सा. बसेडी तह. व जिला जयपुर सुरेशचन्द चौधरी पुत्र बुद्वाराम चौधरी हि.7587/29147 राहित हिस्सा सम्पूर्ण HDFC बैंक लिमिटेड शाखा सांभर महेश कुमार चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी हि.15869/29147 राहित हिस्सा सम्पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जोबनेर जाति जाट सा. बस्सीझाझडा खातेदार	A/1079	1.4817	बारानी 2	
		A/1088	0.3753	बारानी 1	
		A/1089	0.5696	बारानी 1	
		A/1090	0.3288	बारानी 1	
		A/1091	0.1593	बारानी	
		कुल किता 5	2.9147		
2	गुलाब देवी पत्नि सुजा हि.1/4 बनवारी पुत्र सुजा हि.1/4 मांगीदेवी पुत्री सुजा हि.1/4 नालीराम पुत्र सुजा हि. 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	B/1079	1.2243	बारानी 2	
		B/1088	0.5478	बारानी 1	
		B/1089	0.7202	बारानी 1	
		B/1090	0.3035	बारानी 1	
		B/1091	0.1189	बारानी 1	
		कुल किता5	2.9147		

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)